3

यात्रा भत्ता / वाहन भत्ता

विषय सूची			
क्र0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत परिवहन भत्ता की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 28/XXVII(7)/18–50(14)/2017 दिनांक : 23 जनवरी, 2019	137
2	सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत यात्रा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।	सं018/XXVII(7)/18–50(14)/2017 दिनांक : 23 जनवरी, 2019	138–140
3	राज्य कर्मचारियों को वाहन भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	सं0 198/XXVII(7)/18–40(9)2010 दिनांक : 20 सितम्बर, 2018	141
4	वाहन भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	सं0 138/XXVii(7) 27(14)/2012 दिनांक : 04 जुलाई, 2016	142–143
5	राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार अनुमन्य मानदेय के रूप में देय धनराशि के आंगणन के सम्बन्ध में।	सं0 112/XXVII(7) 27(3)/2013 दिनांक : 28 अगस्त, 2015	144
6	शासकीय फील्ड कार्मिकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	सं0 96/XXVII(7) 27(20)/2013 दिनांक : 09 जुलाई, 2015	145–146
7	वाहन चालकों को दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स हेतु रू0 500/– दैनिक भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 32/XXVii(7)27(3)/2013 दिनांक : 31 जनवरी, 2014	147
8	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यरत उपचारिकाओं को साईकिल भत्ता के स्थान पर मोटर साईकिल/स्कूटर भत्ता अनुमन्य किया जाना।	सं0 15/XXVII(7) 30(5)/2014 दिनांक : 13 जनवरी, 2014	148
9	सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया जाना।	सं0 779/XXVii(7) 27(20)/2013 टी0सी0 दिनांक : 12 नवम्बर, 2013	149
10	सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया जाना।	सं0 745/ XXVii(7) 27(20)/2013 दिनांक : 10 अक्टूबर, 2013	150
11	वेतन विसंगति समिति, उत्तराखण्ड के 20वें प्रतिवेदन में वाहन चालकों को	सं0 727/ XXVii(7) 40(20)/2013 दिनांक : 20 सितम्बर, 2013	151

	वित्तीय वर्ष में एक बार अनुमन्य मानदेय के रूप में देय धनराशि के आंगणन के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन।		
12	उत्तराखण्ड वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।	सं0 700 / XXVii(7) 30(5) / 2013 दिनांक : 16 सितम्बर, 2013	**152–153**
13	6600 ग्रेड पे या उच्चत्तर में शासकीय कार्य हेतु लखनऊ यात्रा हेतु अनुमन्यता श्रेणी।	सं0 609 / XXVII(7)10(13) / 2013 दिनांक : 02 जुलाई, 2013	**154**
14	राज्य सेवा से अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नत अधिकारियों का यात्रा भत्ता की दरों का निर्धारण।	सं0 556 / XXVII(7) 10(13) / 2010 दिनांक : 06 जून, 2013	**155**
15	राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता को वाहन भत्ते की अनुमन्यता।	सं0 551 / XXVii(7) 27(14) / 2012 दिनांक : 06 जून, 2013	**156–157**

(137)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः — /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–399/XXVII(7)/2009 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 द्वारा स्वीकृत परिवहन भत्ता की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 में)

क्र.सं.	वेतन मैट्रिक्स लेवल	परिवहन भत्ता प्रतिमाह
1	2	3
1	वेतन मैट्रिक्स लेवल– 10 व उससे ऊपर	5000/–
2	वेतन मैट्रिक्स लेवल– 7 एवं 8	2500/–
3	वेतन मैट्रिक्स लेवल– 6 व उससे नीचे	1000/–

2. यह भत्ता केवल उत्तराखण्ड राज्य सरकार के दिल्ली में तैनात नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को ही अनुमन्य होगा तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा वाहन उपलब्ध कराया गया है, उन्हें उक्तानुसार परिवहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 28 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(138)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः 18 /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) कार्यालय ज्ञाप संख्या–78/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009 तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों द्वारा यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की पूर्व में निर्धारित दरों को अतिक्रमित करते हुये यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से व्यवस्था उपबन्धित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) साधारण यात्रा भत्ता।

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	वेतन स्तर	यात्रा की श्रेणियां			प्रदेश के भीतर		प्रदेश के बाहर		सड़क किलो मीटर भत्ता (प्रति कि.मी.)	प्रतिदिन की स्थानीय यात्राओं (केवल प्रदेश के बाहर के मामलों में लागू) हेतु अधिकतम सीमा
		वायुयान	रेल	सड़क	अवस्थापन (Accomodation)	दैनिक भत्ता	अवस्थापन (Accomodation)	दैनिक भत्ता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16 एवं उच्च	बिजनेस क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस/वोल्वो	2000	700	6500	800	12	वास्तविक
2	13 ए. से 15	इकोनोमी	ए.सी. प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस/वोल्वो	1500	600	4500	700	10	वास्तविक
3	10 से 13	–	ए.सी. टू टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	1000	450	2250	500	08	200
4	6 से 9	–	ए.सी. थ्री टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	400	350	750	400	07	150
5	1 से 5	–	स्लीपर क्लास/साधारण चेयर कार	साधारण बस	250	250	450	300	07	100

(1) ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों वहां पर ए.सी. टू टियर अथवा उच्च श्रेणी से यात्रा हेतु अधिकृत राजकीय सेवक ए.सी. बस से यात्रा कर सकते हैं। अन्य कार्मिक डीलक्स/साधारण बस से यात्रा हेतु अधिकृत होगें।

(2) शासकीय गेस्ट हाउस/विश्राम गृहों/होटल आदि में अवस्थान की दशा में तालिका के स्तम्भ–6 अथवा 8 में अंकित धनराशि जैसी भी स्थिति हो, की अधिकतम सीमा तक दैनिक आधार पर अवस्थान भत्ता, स्तम्भ–7 अथवा 9, जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित दैनिक भत्ते के अतिरिक्त अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में बिल/बाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) उक्त तालिका के सतम्भ–7 अथवा 9 जैसी भी स्थिति हो, में अनुमन्य दैनिक भत्ता की गणना वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

(4) निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध होने पर ठहरने के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। होटल में यदि सुबह का नाश्ता प्रतिदिन के किराये में शामिल है तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 25 % की कटौती कर ली जायेगी। इसी प्रकार यदि होटल के अवस्थान में दो meals शामिल हैं तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 50 % की कटौती कर ली जायेगी।

इसी प्रकार यदि तीनों meals अवस्थान में शामिल हैं तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 75 %की कटौती कर ली जायेगी।

(4) निजी व्यवस्था में अवस्थान करने पर तालिका के स्तम्भ–6 अथवा 8 में अनुमन्य दरों के स्थान पर स्तम्भ– 7 अथवा 9, जैसी भी स्थिति हो, का 1.5 गुना दैनिक भत्ता प्रतिदिन के आधार पर अनुमन्य होगा। निजी व्यवस्था में अवस्थान करने पर अवस्थान भत्ता अतिरिक्त रूप में अनुमन्य नहीं होगा।

(6) आनुषांगिक व्यय की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

(7) सड़क मार्ग से की जाने वाली लम्बी यात्राओं के लिये सड़क मील भत्ता की अनुमन्यता की शर्तें व दरें वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के प्राविधानानुसार पूर्ववत् रहेंगी।

(8) किन्हीं अन्य आदेशों/नियमों में व्यवस्था उपबन्धित होते हुए भी उपरिउल्लिखित तालिका में उल्लिखित दैनिक भत्ता/सड़क किलोमीटर भत्ता की अधिकतम दरें ही दैनिक आधार पर अनुमन्य होंगी अर्थात उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य दैनिक भत्ता/सड़क किलोमीटर भत्ता अतिरिक्त रूप से अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

(9) यात्रा पर जाते समय तथा गंतव्य स्थान से वापसी में, निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट के बीच की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिये सड़क किलोमीटर भत्ता उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–10 अनुरूप ग्राह्य होगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक उक्त स्थानीय/अल्प दूरी सम्बन्धी यात्राओं के लिए स्तम्भ–10 में उल्लिखित सड़क किलोमीटर भत्ते की धनराशि का 1.5 गुना अनुमन्य होगा। सड़क किलोमीटर भत्ता की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी।

(ख) स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	वेतन स्तर	यात्रा श्रेणी			सामान की अधिकतम सीमा एवं दर (30 पैसे प्रति कि.मी. प्रति कुन्तल)	एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान	स्थानान्तरण पर वाहन की ढुलाई की प्रतिपूर्ति
		हवाई	रेल	सड़क			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16 एवं उच्च	बिजनेस क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी /शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस /वोल्वो	60 कुन्तल	50 कि.मी. तक स्थानान्तरण होने की स्थिति में वेतन स्तर के न्यूनतम का 5% तथा 50 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण होने पर वेतन स्तर के न्यूनतम का 20% (अधिकतम रू0 25000/– धनराशि) एकमुश्त अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी।	एक मोटर कार अथवा एक मोटर साईकिल /स्कूटर
2	13 ए, से 15	इकोनोमी क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी /शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस /वोल्वो	60 कुन्तल	–तदैव–	–तदैव–
3	10 से 13	–	ए.सी. टू टियर/ ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	60 कुन्तल	–तदैव–	–तदैव–
4	5 से 9	–	ए.सी. थ्री टियर/ ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	30 कुन्टल	–तदैव–	एक मोटर साईकिल / स्कूटर/मोपेड/साईकिल
5	1 से 4	–	स्लीपर क्लास/ साधारण चेयर कार	साधारण बस	15 कुन्टल	–तदैव–	–तदैव–

(10) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति पर भी उक्तानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।

(11) विदेश यात्राओं हेतु भारत सरकार के प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

(12) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु वायुयान की श्रेणियां भारत सरकार में तत्समय प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप होंगी।

(13) उक्त दरें दिनांक 01–02–2019 से लागू होंगी लेकिन इस शासनादेश के जारी होने एवं लागू होने की तिथि के मध्य की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा समाप्ति की तिथि को लागू दरें प्रभावी होंगी। परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के लागू होने से पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका है, उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

(14) यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(15) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियमों में उक्तानुसार संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 18 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(141)

संख्या 198 / XXVII(7)/18-40(9)/2010

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 20 सितम्बर जुलाई, 2018

विषयः– राज्य कर्मचारियों को वाहन भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–700 / XXVII(7) / 30(5) / 2013 दिनांक 16 सितम्बर, 2013 सपठित शासनादेश संख्या–745 / XXVII(7)27(20)2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 का कृपयां सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाहन भत्तें की दरें पुनरीक्षित की गयी हैं।

2– शासनादेश संख्या–161 / XXVII(7) / 40(IX) / 2011 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 में यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि पुनरीक्षित वाहन भत्ता केवल उन कार्मिकों को अनुमन्य कराया जाय जिनका उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 के नियम–38(1) सपठित परिशिष्ट–12 एवं नियम–82 सपठित परिशिष्ट–8 में हैं।

3– कतिपय स्रोतो से ज्ञात हुआ है कि विभिन्न विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अपने अधीनस्थ विभागों / कार्यालयों के फील्ड़ स्तरीय कार्मिकों को वाहन भत्ता अनुमन्य किया गया है। उक्त शासनादेशों के अनुरूप वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 के सुसंगत नियमों में संशोधन न होने के कारण कोषागारों द्वारा उक्त कार्मिकों को वाहन भत्ता के भुगतान हेतु प्रस्तुत देयको का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

4– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन कार्मिकों को वित्त विभाग की सहमति से निर्गत आदेशों द्वारा वाहन भत्ता की अनुमन्यता प्रदान की गयी है उन कार्मिकों को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 के सुसंगत नियमों में संशोधन होने तक उक्तानुसार वाहन भत्ता अनुमन्य कराया जाय। सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट रूप से यह देख लिया जाय कि वाहन भत्ते की अनुमन्यता सम्बन्धी शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये गये हैं, वेतन / भत्तों के सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति के बिना जारी किये गये शासनादेशों का कृपया संज्ञान न लिया जाय।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 1 / XXVII(7) / 2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(142)

संख्या– /XXVII(7)27(14)/2012

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, देहरादून : दिनांक 04 जुलाई, 2016

विषयः वाहन भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ताओं को मोटर साईकिल/स्कूटर भत्ते की दरों में वृद्धि किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–551/XXVII(7)27(14)/2012 दिनांक 06 जून, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– राजकीय विभागों के अपर सहायक अभियन्ता का जॉब चार्ट कनिष्ठ अभियन्ता के समान होने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गयें निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विभागों के अपर सहायक अभियंता को भी मोटर साईकिल/स्कूटर भत्ता उक्त शासनादेश में वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उपर्यक्त शासनादेश संख्या–551/XXVII(7)27(14)/2012 दिनांक 06 नवम्बर, 2013 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या– 138 (1) /xxvii(7)27(14)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

––2––

2: सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3: प्रमुख सचिव/सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4: सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5: रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6: स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7: निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8: समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10: निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11: गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

(144)

संख्याः \ /XXVII(7)27(3)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनः दिनॉक 28 अगस्त, 2245 ~~जुलाई, 2015~~

विषयः राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार अनुमन्य मानदेय के रूप में देय धनराशि के आंगणन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 43/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014 सपठित शासनादेश संख्या–45/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वर्ष में एक बार अनुमन्य किये जाने वाले मानदेय में सुसंगत माह में मूल वेतन के साथ 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. संघ की मांग पर शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य एक माह के मानदेय में मूल वेतन के साथ स्वीकृत 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के स्थान पर 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

3. उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 112 (1)/XXVII(7)27(3)/2013 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(145)

संख्या– 96 /XXVII(7)27(20)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांक 09 जून, 2015

विषयः– **शासकीय फील्ड कार्मिकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–745/XXVII(7)27(20)/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 एवं शासनादेश संख्या–779/XXVII(7) 27 (20)/2013 T.C. दिनांक 12.11.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन विभागों में फील्ड कर्मचारी निजी वाहन से शासकीय कार्यो का सम्पादन करते हैं, उन विभागों के विभागाध्यक्ष के स्थान पर आहरण–वितरण अधिकारी और यदि वह स्वयं आहरण वितरण अधिकारी हो तो उनसे उच्च अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा कि सम्बन्धित कर्मिक द्वारा शासकीय कार्यो में निजी वाहन का प्रयोग किया जा रहा है, तदोपरान्त ही उन्हें वाहन भत्ता अनुमन्य होगा।

2. उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 2013 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 96 (1)/xxvii(7)27(20)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

add on यात्रा भत्ता

147

संख्याः 32 /XXVII(7)27(3)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादूनः दिनॉक 31 जनवरी, 2014

विषयः वाहन चालकों को दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स हेतु रू0 500/– दैनिक भत्ता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ की मांग पर शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में वाहन चालकों को दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स हेतु यात्रा भत्ता के साथ–साथ दैनिक भत्ता के रूप मे रू0 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) एक मुश्त धनराशि दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 32 (1)/XXVII(7)27(3)/2013 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

(148)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्याः 15 /XXVII(7)30(5)/2014
देहरादूनः दिनांक 13, जनवरी,. 2014

कार्यालय ज्ञाप

विषयः चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उपचारिकाओं को साईकिल भत्ता के स्थान पर मोटर साईकिल/स्कूटर भत्ता अनुमन्य किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि वाहन भत्तें के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-3 के नियम 82, सपठित परिशिष्ठ 8 IV चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत उपचारिकाओं (Nurses) को साईकिल भत्ता के स्थान पर सम्यक् विचारोपरान्त मोटर साईकिल/ स्कूटर भत्ता अनुमन्य कराते हुये शासनादेश संख्या-700/xxvii(7)30(5)/2013, दिनांक 16.09.2013 के स्तम्भ 4 में उल्लिखित दर के अनुसार वाहन भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. वाहन भत्तों की अनुमन्यता हेतु शर्ते पूर्व निर्गत शाासनादेशों के अनुसार रहेगी।

Bhaskar
(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0संख्याः 15 /XXVII(7)30(5)/2014, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. महालेखाकार, ओबेराय भवन माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Bhaskar
(भास्करानन्द)
सचिव।

E:\sarita\SARITA\2014\official order.doc

149

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 779/xxvii(7)27(20)/2013 टी0सी0
देहरादून, दिनांकः 12 नवम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– सरकारी सेवकों के स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया जाना।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगों के संबंध में अपर मुख्य सैंचिव की अध्यक्षता दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के कम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–745/xxvii(7)27(20)/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 द्वारा सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया गया है।

अतः इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि जिन विभागों में फील्ड़ कर्मचारी निजी वाहन से शासकीय कार्यों का सम्पादन करते हैं, उन विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा शासकीय कार्यों में निजी वाहन का प्रयोग किया जाता है। तदोपरान्त ही उन्हें भी वाहन भत्ता अनुमन्य होगा।

भवदीय,
(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या 779 (1)/XXVII(7)27(20)/2013 टी0सी0 तददिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 745/xxvii(7)27(20)/2013
देहरादून, दिनांकः 10 अक्टूबर, 2013

150

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया जाना।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1332/xxvii(3)मा/2004 दिनांक 02 अगस्त, 2004 द्वारा सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 के नियम–38(1) परिशिष्ट–12 में उल्लिखित सूची के अनुसार मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के अनुसार अनुमन्य किया गया है।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–700/xxvii(7)30(5)/2013 दिनांक 16 सितम्बर, 2013 द्वारा वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया है। वाहन भत्ते की उक्त दरें वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 नियम–82 परिशिष्ट–8 में उल्लिखित वाहन भत्तों की सूची के अनुसार अनुमन्य किया गया है।

अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपवादस्वरूप, जहां स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) अनुमन्य है, वहां फील्ड कर्मचारियों को वर्तमान में अनुमन्य स्थायी मासिक भत्ता के स्थान पर वाहन भत्ता रू0 1200/– प्रतिमाह माह अक्टूबर, 2013 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 745 (1)/XXVII(7)27(20)/2013 तददिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(एल0एच0पन्त)
अपर सचिव।

(151)

संख्या–727 /xxvii(7)40(20)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून दिनांक 20 सितम्बर 2013

विषयः **वेतन विसंगति समिति, उत्तराखण्ड के 20वें प्रतिवेदन में वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार अनुमन्य मानदेय के रूप में देय धनराशि के आंगणन के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा 20वें प्रतिवेदन में वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार अनुमन्य मानदेय के रूप में देय धनराशि के आंगणन के संबंध में की गयी निम्नलिखित संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है :–

" उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श में यह स्पष्ट हुआ कि मासिक वेतन के साथ अनुमान्य मकान किराया भत्ता एवं पर्वतीय विकास भत्ता की प्रकृति प्रतिपूर्ति भत्ता की है, जिसके कारण उसे वर्ष में बारह मास से अधिक के संदर्भ में दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है, किन्तु वाहन चालकों के कार्य एवं दायित्व में जो दुरूहता–जोखिम–समयावधि की अनिश्चितता–प्रतिबद्धता है, उसके दृष्टिगत वित्तीय वर्ष में एक बार अनुमन्य मानदेय की धनराशि में वाहन चालक को उस माह के वेतन, जिसे इस मानदेय की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में लिया जाता है, में प्राप्त होने वाले ग्रेड वेतन के सापेक्ष तैनाती स्थल/कार्यालय के दृष्टिगत अतिरिक्त धनराशि निम्नवत् सम्मिलित करते हुये मानदेय हेतु देय कुल धनराशि के आगणन का औचित्य पाया गया। **अतएव प्रश्नगत मानदेय की धनराशि में, उन्हें सुसंगत माह में वेतन के अन्तर्गत प्राप्त ग्रेड वेतन के सापेक्ष, उनकी तैनाती स्थल के आधार पर निम्नवत् अतिरिक्त धनराशि सम्मिलित करते हुये मानदेय के रूप में देय कुल धनराशि का आगणन किये जाने और इस अतिरिक्त धनराशि का लेखांकन अन्य भत्ते के रूप में किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गयी है।**

बी–2 श्रेणी	सी– श्रेणी के अन्य नगरीय क्षेत्र एवं जिला मुख्यालय	अवर्गीकृत क्षेत्र
ग्रेड वेतन का 85 प्रतिशत	ग्रेड वेतन का 60 प्रतिशत	ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत

2 कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु यथावश्यक शासनादेश यथा शीघ्र निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:700/XXVII(7)30(5)/2013
देहरादून, दिनांक:16 सितम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

विषय :– उत्तराखण्ड वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी कार्य के हित में की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3, नियम–82 के अधीन अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का निर्धारण अन्तिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या– 395/XXVII(7)/2009 दिनांक 24–12–2009 एवं शासनादेश संख्या–551/XXVII(7)27(14)/2012 दिनांक 06 जून, 2013 द्वारा किया गया था। इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ–4 में उल्लिखित दर के अनुसार तात्कालिक प्रभाव से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	वाहन का नाम	वर्तमान दर प्रतिमाह (रू0)	संशोधित दर प्रतिमाह(रू0)
1	2	3	4
1	मोटरकार (जहां औसत स्थानीय यात्रा 400 किमी0 प्रतिमाह से अधिक होती है)	1000/–	2700/–
2	मोटर साईकिल/स्कूटर	450/–	1200/–
3	मोपेड	200/–	550/–
4	साईकिल	75/–	200/–

1– उक्त भत्ते की अनुमन्यता उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 मार्च, 2000 के अनुसार ही रहेगी और कार्यालय ज्ञाप की दर केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।

2– उक्त भत्ते की अनुमन्यता हेतु शर्तें पूर्व निर्गत शासनादेश के अनुसार ही रहेंगी।

3– उक्त भत्ते की दरों में संशोधन के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

153

संख्या 700(1)/XXVII(7)30(5)2013 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

154

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या609/xxvii(7)10(13)/2013
देहरादून, दिनांक: 02 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

सरकारी कार्मिकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) कार्यालय ज्ञाप संख्या– सा0–4–395/दस–99–600/99 दिनांक 11 जून, 1999 तथा इसके बाद समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्थाओं को वेतन समिति, (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के क्रम में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–78/xxvii(7)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009 द्वारा पुनरीक्षित की गई है, जिसमें ग्रेड वेतन (ग्रेड पे) रू0 8900 या उससे उच्चतर ग्रेड वेतन में कार्यरत् सरकारी कार्मिकों को वायुयान का इकोनोमी क्लास की श्रेणी अधिकृत की गई है।

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ग्रेड वेतन (ग्रेड पे) रू0 6600 या उससे उच्चतर ग्रेड वेतन में कार्यरत् सरकारी कार्मिकों के साथ–साथ निगमों तथा अन्य स्वायतशासी संस्थाओं के कार्मिकों को देहरादून से लखनऊ एवं वापसी के सरकारी कार्यो के लिये आने एवं जाने पर वायुयान का इकोनोमी क्लास की श्रेणी अधिकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 मार्च, 2009 केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(सकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या609 (1)/xxvii(7)10(13)/2013 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या: 556/XXVII(7)10(13)/2010
देहरादून: दिनांक: 08 जून, 2013

155

कार्यालय ज्ञाप

विषय– यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 78/ XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009, जिसके द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में यात्रा भत्ता संबंधी पुनरीक्षित व्यवस्था ग्रेड वेतन के आधार पर दिनांक 01 अप्रैल, 2009 से लागू की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के कार्मिकों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के फलस्वरूप यथा प्रक्रिया वेतन का संरक्षण/निर्धारण करने पर अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन पूर्व में राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में धारित पद पर प्राप्त वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की तुलना में निम्न होने जाने की दशा–विशेष में यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ अधिकृत श्रेणी–साधन एवं तत्संबंधी अन्य सुविधाओं (जैसे– अनुसांगिक व्यय/दैनिक भत्ता–प्रतिपूर्ति/स्थानान्तरण पर सामान एवं वाहन की ढुलाई/पैकिंग भत्ता–एक मुश्त अनुदान) के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल ऐसे कार्मिकों को, राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में पूर्व धारित पद पर प्राप्त वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के आधार पर यथास्थिति अनुमन्य यात्रा भत्ता एवं तत्संबंधी उपर्युक्त सुविधाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा–संवर्ग के पद पर भी इस सीमा तक संरक्षित एवं अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जब तक कि उन्हें पूर्व धारित पद पर प्राप्त वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के समतुल्य भारतीय प्रशासनिक सेवा–संवर्ग में अग्रेत्तर पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य नही हो जाता है।

2– तद्नुसार उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 मार्च, 2009 को संशोधित समझा जायेगा।

3– यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

156

संख्या–551/xxvii(7)27(14)/2012

प्रेषक,

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव, वित,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7

देहरादून: दिनांक 06 जून, 2013

विषयः राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता को वाहन भत्ते की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी कार्य के हित में मुख्यालय पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–82 के अधीन तत्कालिक प्रभाव से वाहन भत्ता निम्नलिखित दर से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

वाहन का नाम	वर्तमान दर (रू0)	संशोधित दर (रू0)
मोटर साईकिल/स्कूटर	450	1200

2– उक्त भत्ते की अनुमन्यता उपरोक्त यात्रा नियम–82 सपठित उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा0–4–229/दस–2000–620–2000 दिनांक 10 मार्च, 2000 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप–395/ xxvii(7)/2009 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के अनुसार ही रहेगी और राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता पद के धारकों के संबंध में उक्त ज्ञाप दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

157

संख्या 551(1)/xxvii(7)27(14)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एल0एन0 पन्त)

अपर सचिव।